[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 11/2024–केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 मई, 2024

सा.का.नि...(अ).– केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सं. 02/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के सारणी 2 में, -

(i) क्र.सं. 7 पर स्तंभ (3) में, शब्दों "नीम का थाना और झुंझुनु जिले तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले की बहरोड, बानसुर, नीमराणा, मांडण और नारायणपुर तहसीलें" के स्थान पर " नीम का थाना, झुंझुनु तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले " शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) क्र.सं. 49 पर स्तंभ (3) में, " तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले की कोटपूतली, विराटनगर और शाहपुरा तहसीलें" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.स. सीबीआईसी–20016/18/2023–जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2024–केन्द्रीय कर, तारीख 29 मई, 2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 296(अ), तारीख 29 मई, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।